



पत्र क्र./परिषद्/गैर शास. संस्थान (NGO)/2022/1140 रायपुर, दिनांक 16/3/2022

प्रेस विज्ञप्ति

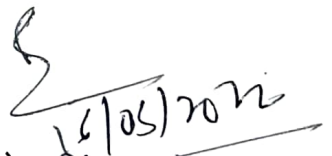
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2021 से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), छ.ग., रायपुर को अकादमिक कार्यों के लिए NGO's के साथ निःशुल्क सेवाएँ/सहयोग प्राप्त करने की शर्त पर अनुबंध करने के लिए संचालक, SCERT, रायपुर को अधिकृत किया गया है।

इस कार्य हेतु छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022-23 शिक्षा सत्र के लिए पूर्णतः निःशुल्क अकादमिक कार्य करने/सहयोग करने के इच्छुक "गैर शासकीय संस्थाओं (NGO's)" के प्रस्ताव राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में आमंत्रित किए जा रहे हैं।

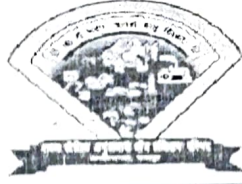
गैर शासकीय संस्थान (NGO's) इस अकादमिक कार्य हेतु विस्तृत विवरण परिषद् की Website : www.scert.cg.gov.in पर जाकर देख सकते हैं एवं अपना पंजीयन निर्धारित लिंक पर कर सकेंगे।

पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 15/04/2022 है।

संलग्न : दिशा निर्देश


(राजेश सिंह राणा)
IAS

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर



क्रमांक/परिषद्/दिशा निर्देश/2022/ 1045

रायपुर, दिनांक 14/03/22

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा
गैर शासकीय संस्थाओं
को प्राप्त प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिये दिशा निर्देश

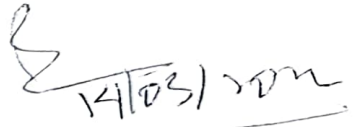
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 23-03/2021/20-तीन रायपुर दिनांक 06.03.2021 के अनुसार राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ में अकादमिक कार्यों के लिए गैर शासकीय संस्थाओं के साथ निःशुल्क सेवायें/सहयोग प्राप्त किये जाने के शर्त पर अनुबंध करने के लिए संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ को अधिकृत किया गया है।

इस कार्य हेतु आपके प्रस्तुतीकरण संबंधी दिशा निर्देश इस प्रकार रहेंगे -

- प्रस्तुतीकरण के पूर्व NGO's को पंजीकरण करना होगा इसके लिये परिषद् की WebSite www.scert.cg.gov.in पर एक लिंक दी जा रही है सर्व प्रथम इस पर अपना पंजीयन करना होगा। जिना संस्थाओं द्वारा पूर्व में पंजीयन किया है वह वर्ष 2021 के लिये था इन संस्थाओं को पुनः वर्ष 2022 शिक्षा सत्र के लिये पुनः पंजीयन करना आवश्यक है।
- प्रस्तुतीकरण के पूर्व परिषद् द्वारा एक Meeting रखी जायेगी, जिसमें दिशा निर्देश दिये जायेंगे की प्रस्तुतीकरण किस प्रकार से तथा कब-कब किया जाना होगा तथा किन नियम शर्तों के अधीन आपके प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
- प्रस्तुतीकरण हेतु सभी गैर शासकीय संस्थाएं (NGO's) अपना P.P.T. (Power Point Presentation) की प्रति राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को परिषद् के Email - 2021ngos@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भेजे।
- प्रस्तुतीकरण में आपके द्वारा वर्ष, 2020-21 एवं 2021-22 में जो कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा हेतु किया गया है उसका संक्षिप्त विवरण प्रदान करेंगे।
- वर्ष 2022-23 में शिक्षा सत्र हेतु आपका प्रस्ताव क्या है? Target Group कार्य क्षेत्र (राज्य/जिला/ब्लॉक/संकुल) में किस प्रकार रहेगा इसका प्रस्तुतीकरण आपको करना होगा।
- प्राप्त प्रस्तावों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि भविष्य में कोविड-19 की महामारी के कारण भौतिक रूप से कार्य करना संभव नहीं हो सका तो आपके प्रस्ताव का क्रियान्वयन किस प्रकार होगा? तथा इसकी कार्य योजना क्या रहेगी?
- प्रस्तुतीकरण में आपके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, N.I.P.U.N. Bharat के संदर्भ में आपको प्रस्ताव किस प्रकार से संबद्ध है इस पर भी उल्लेखित होना आवश्यक है।

- प्रतिदिन 02 या 03 गैर शासकीय संस्थाओं (NGO's) के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण प्रत्यक्ष offline किया जायेगा। अतः आप अपने P.P.T. शीघ्र परिषद् को भेजें।
- प्रस्तुतीकरण संक्षिप्त, समय-सीमा (10 से 15 मिनट) तथा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए इस विषयवस्तु पर प्रकोष्ठ के विषय विशेषज्ञ चर्चा भी करेंगे इस परिचर्चा के उपरान्त छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपके कार्य, कार्य क्षेत्र, टारगेट ग्रुप, पर निर्णय समिति एवं प्रकोष्ठ के विषय विशेषज्ञ द्वारा लिया जायेगा तत्पश्चात ही निर्णय उपरान्त अनुबंध की कार्यवाही की जायेगी।
- संपूर्ण प्रक्रिया के लिए परिषद् का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त विषय के संबंध में परिषद् के प्रभारी श्री ए.के.सारस्वत, सहा. प्राध्यापक (9425515489) से संपर्क कर सहयोग ले सकते हैं।


(राजेश सिंह राणा)
IAS

संचालक
- एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर